

सं० सं०-5 बजट (1) 24/2022 25 श० (वि०)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, भा० प्र० से०

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार

झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक 11.08.2026

विषय:-

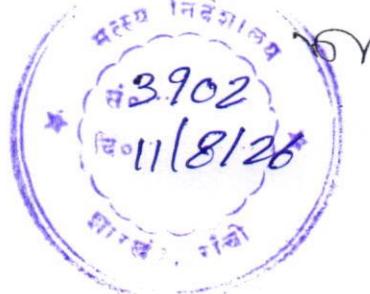
वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 1425.872 लाख (चौदह करोड़ पच्चीस लाख सत्तासी हजार दो सौ) रुपये मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना "मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना" अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्ष-2405-मछली पालन में उपलब्ध बजटीय उपबंध मो० 1580.00 लाख रु० मात्र के विरुद्ध 1425.872 लाख (चौदह करोड़ पच्चीस लाख सत्तासी हजार दो सौ) रुपये मात्र के व्यय पर योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त योजना के तहत मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु पारिश्रमिक का भुगतान, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, विभागीय नियंत्रणाधीन जलक्षेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाईल रिचार्ज कूपन, अमूर कार्प/जयंति रोहू/तिलापिया/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels आदि के बीज का संचयन, जलाशय स्तरीय मछुआरों (बिरसा मत्स्य किसानों) के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित), केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट, मोती पालन, निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन, देशी मांगुर आदि प्रजातियों का पालन, ICAR-CIFRI, कोलकाता के माध्यम से Scampi fisheries in under-utilized reservoirs, प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही उक्त स्वीकृत राशि से वर्तमान समय में 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों का एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन, 6200 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/विक्रेताओं का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण, 22000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन, ICAR के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से तकनीकी सहायता एवं विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार/स्थापनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो० 1425.872 लाख (चौदह करोड़ पच्चीस लाख सत्तासी हजार दो सौ) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-



मॉग सं०-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना

(राशि लाख रु० में)

कम	लघु शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछलीपालन			
विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय 53S24050010120010109	68.000	54.16000	13.84000
विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	17 कार्यालय उपकरण 53S24050010120010317	11.000	11.00000	0.00000
3	19 मुद्रण 53S24050010120010319	22.000	22.00000	0.00000
4	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050010120010320	40.000	40.00000	0.00000
5	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050010120010321	22.000	18.00000	4.00000
6	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050010120010323	206.000	193.14150	12.85850
7	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050010120010335	100.000	91.07500	8.92500
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
8	59 अन्य व्यय 53S24050010120010759	11.000	9.00000	2.00000
(ख)	उप योग :	480.000	438.37650	41.62350
विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय 53S24050078920010109	24.000	24.00000	0.00000
विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050078920010321	6.000	6.00000	0.00000
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050078920010323	45.000	45.00000	0.00000
4	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050078920010335	45.000	34.43125	10.56875
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
5	59 अन्य व्यय 53S24050078920010759	4.000	3.00000	1.00000
(ग)	उप योग :	124.000	112.43125	11.56875
विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				
1	09 मानदेय 53S24050079620010109	108.000	83.94400	24.05600
विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय				
2	17 कार्यालय उपकरण 53S24050079620010317	38.000	38.00000	0.00000
3	19 मुद्रण 53S24050079620010319	38.000	38.00000	0.00000
4	20 मेला एवं प्रदर्शनी 53S24050079620010320	60.000	60.00000	0.00000
5	21 सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 53S24050079620010321	82.000	82.00000	0.00000
6	23 आपूर्ति एवं सामग्री 53S24050079620010323	275.000	214.64650	60.35350
7	29 व्यवसायिक सेवाएँ 53S24050079620010329	130.000	130.00000	0.00000
8	31 परामर्शी शुल्क 53S24050079620010331	35.000	35.00000	0.00000
9	35 प्रशिक्षण व्यय 53S24050079620010335	155.000	141.47375	13.52625
10	80 मूल्यांकन 53S24050079620010380	30.000	30.00000	0.00000
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय				
11	59 अन्य व्यय 53S24050079620010759	15.000	12.00000	3.00000
12	81 सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ 53S24050079620010781	10.000	10.00000	0.00000
	उप योग :	976.000	875.06425	100.93575
	सकल योग :	1580.000	1425.87200	154.12800

कुल मो० (चौदह करोड़ पच्चीस लाख सत्तासी हजार दो सौ) रुपये मात्र।

- यह एक चालू प्रकृति की योजना है।
- योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
- योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

6. (क) मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों/भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि के विरुद्ध पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। यह पारिश्रमिक कार्य की प्रगति, क्षेत्रीय भौगोलिक विस्तार आदि के अनुरूप होगा। मत्स्य निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक (स्थापना) की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा ज्ञापांक 2075 दिनांक 11.12.2023 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर मत्स्य मित्रों/स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों तथा कार्य के विरुद्ध पारिश्रमिक देय होगा।

(ख) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं ऑकड़ों के संधारण हेतु केज मत्स्य मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में निदेशालय पत्रांक 1546 दिनांक 13.08.2018 द्वारा दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गत किया गया है।

(ग) विभागीय नियंत्रणाधीन तालाबों में सघन मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जायेगा, जिस पर प्रति एकड़ 40,000/- रु0 मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिक्री मूल्य निर्धारित कराकर बिक्री की जाएगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(घ) विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुरूप इस वर्ष भी राज्य के मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों तथा विभागीय क्षेत्रीय कर्मियों के लिये मोबाईल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(ङ.) अमूर कार्प/जयंती रोहू/तिलापिया/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels आदि के मत्स्य बीज का संचयन किया जायेगा।

(च) जलाशय स्तरीय 460 मछुआरों के लिए आईडेन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिलों से अंतिम सूची प्राप्त करते हुए समेकित रूप में मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के स्तर पर मुद्रण कराया जाएगा जिससे कि सभी कार्ड में एकरूपता हो सके। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, बिरसा मत्स्य किसान {कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक 1257 दिनांक 23.08.2021 के आलोक में} अंकित होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय तथा मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(छ) प्रचार/प्रसार/पोस्टर/पम्पलेट/बुकलेट/प्रचार-सामग्री/विभागीय पुस्तकें, दस्तावेज आदि की छपाई/मेला/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंट्री फिल्म/डेटा इन्ट्री/फोटोग्राफी/सेमिनार/समारोह/कार्यशाला/मत्स्य कृषकों की गोष्ठी/राज्य प्रायोजित समारोह/सेवा शुल्क/तकनीकी सेवा शुल्क/बाह्य श्रोत से प्राप्त की जानेवाली PMU/Block chain technology (विभागीय पत्रांक 102 दिनांक 29.01.2025 के क्रम में) जैसी अन्य सेवाएँ/विशेषज्ञों का सेवा शुल्क/परामर्श, अनुसंधान तथा ICAR के विभिन्न तकनीकी संस्थानों से प्राप्त की जानेवाली तकनीकी सहायता पर व्यय/डी0 पी0 आर0 तथा योजनाओं आदि के मूल्यांकन पर व्यय आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुद्रण कार्य मत्स्य निदेशालय/मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र/मत्स्य अनुसंधान केन्द्र के स्तर पर समेकित रूप में की जाएगी जिससे कि सभी में एकरूपता हो सके। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(ज) राज्य से पंचायत स्तर तक मत्स्य पालकों के बीच जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा, जिस पर 100/-रु0 प्रतिदिन प्रति बिरसा मत्स्य किसान की दर से राशि व्यय की जायेगी।

(झ) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य बीज उत्पादकों तथा हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप/सम्मानित करने हेतु अधिकतम राशि 30,000/-रु0 प्रति चयनित कृषक पुरस्कार के रूप में 12 Paddle Wheel Aerator (विभाग द्वारा अनुमोदित) अथवा मत्स्य बीज पैकेजिंग हेतु ऑक्सीजन सिलिंडर (accessories सहित) अथवा आईस बॉक्स के साथ दोपहिया वाहन के कय हेतु प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जायेगी।

लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा एवं संचिका के माध्यम से संबंधित जिला के उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा।

7. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जाँच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही राशि का भुगतान करेंगे।

8. परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 375/- रु० की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय, आवासन आदि पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों के एक से तीन दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार तथा रिफ्रेसर कोर्स के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम 1575/-रु० की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/-रु० की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति व्यक्ति को एवं संस्थागत व्यय के रूप में 125/- रु० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति व्यक्ति 600/-रु० अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला/सेमिनार की राशि से आवश्यकतानुसार आर०एफ०एफ० लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों, हैचरी संचालकों, मत्स्य विक्रेताओं, विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों आदि के समूहों की भी कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों/मत्स्य विक्रेताओं आदि को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु० प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 125/-रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन, अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 600/-रु० मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रौंची तक) भुगतान किया जायेगा।

मात्स्यिकी विज्ञान महाविद्यालय, गुमला तथा अन्य चार प्रमण्डलों में सुविधानुसार मत्स्य कृषकों तथा विद्यार्थियों के लिए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के सहयोग एवं समन्वय से पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी उपरोक्त के क्रम में किया जाएगा।

साथ ही विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुरोध के आधार पर National Education Policy (NEP - 2020) के तहत UG Degree Program के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 60 - 120 घंटे के Internship Program/Short Research Project/Hands-on Training का आयोजन मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रौंची में कराया जा सकता है, बशर्ते संबंधित संस्था/विद्यार्थियों द्वारा इसके लिए आवश्यक राशि (पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के आधार पर व्यय की गणना करते हुए) का भुगतान किया जाए।

प्रगतिशील मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं आदि लाभुकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें

प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा आदि का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा।

राज्य के बाहर, स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मॉगा गया संस्थागत व्यय आदि का भुगतान भी इससे किया जा सकेगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य में तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देने हेतु विषय-वस्तु विशेषज्ञों/अतिथि व्याख्याताओं/प्रशिक्षकों/वैज्ञानिकों के आने-जाने का व्यय (TA/DA) तथा उनके पद के अनुरूप मानदेय का भुगतान लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-31-परामर्शी शुल्क के तहत अनुमान्य होगा।

- घ. परिशिष्ट-IV में आपूर्ति एवं सामग्री मद में कर्णांकित राशि का व्यय मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के लिए आवश्यक सामग्रियों के क्रय के लिए भी किया जा सकेगा। सामग्रियों का क्रय GeM के माध्यम से किया जाना है। वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं० 2353 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में GeM Portal पर सामग्रियों/सेवाओं की अनुपलब्धता की स्थिति में GeM के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों/संकल्पों के आलोक में सामग्रियों/सेवाओं की अभिप्राप्ति की जाएगी।
- ड. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प सं०-773 दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
- च. सरकार द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर जारी किये जाने वाले प्रावधानों तथा माप-दण्डों के अंतर्गत ही इस योजना अंतर्गत गोष्ठी, प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
10. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :
- क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फैंक्ट्री फॉर्मूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 40/- रु० प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल मो० 2.00 लाख रु० मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दर पर बिक्री की जायेगी।
- ख. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूर्व संचालित एवं नए रंगीन मछली इकाई हेतु पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची की होगी।
- ग. प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन, विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन

हेतु ब्रूडर की तैयारी तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आई0 टी0 – बेस्ड कार्यक्रम/मत्स्य निदेशालय के वेबसाईट का रख-रखाव/मोबाईल एप्प/अन्य एप्प तथा साफ्टवेयर विकसित कराया जायेगा।

*11. इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक ICAR-CIFRI, कोलकाता के सहयोग से राज्य के तीन जलाशयों-मसरिया (गुमला), घघरा (हजारीबाग) तथा केलाघाघ (सिमडेगा) में क्रियान्वित Pilot Project-Giant Freshwater Prawn fisheries in Reservoirs के द्वितीय फसल चक्र (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28) तथा राज्य के छः नए जलाशयों (1. लातेहार जिला में बचरा जलाशय 2. लोहरदगा जिला में नन्दिनी जलाशय 3. गुमला जिला में धनसिंह जलाशय 4. दुमका जिला में बंकीबेरा जलाशय 5. राँची जिला में करांजी एवं ओपा जलाशय) में Giant Freshwater Prawn Fisheries का पालन किया जाएगा। इस हेतु अलग-अलग संभावित व्यय विवरणी निम्नप्रकार है –

(क) ICAR-CIFRI, कोलकाता के DPR के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्यादेश सं0 11 रा0 (वि0) दिनांक 04.07.2025 द्वारा मसरिया (गुमला), घघरा (हजारीबाग) तथा केलाघाघ (सिमडेगा) के लिए द्वितीय फसल चक्र हेतु स्वीकृत एवं विस्तारित परियोजना-Improving Livelihood of tribal communities through Scampi Fisheries enhancement technologies in under-utilized reservoir resources of Jharkhand के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 की स्वीकृत व्यय विवरणी –

SN	Major Heads	मद	Financial Details (in lakh Rs.)					
			FY 2025-26		Current FY 2026-27		FY 2027-28	Total
			1 st Year		2 nd Year		3 rd Year	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2025-26 vide Sanction Order No. 11 dated 04.07.2025	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2026-27 vide current Sanction Order No.	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (4 nos.) @ Rs. 30,000/- per month for 30 months*	मानदेय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub- Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Procurement of pen, 0.4 ha / reservoir and maintenance	आपूर्ति एवं सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Seed procurement for stocking @ 500 nos / ha		8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	16.00
4	Supplementary feeding cost @ 8 % BW in pen (PL – Juvenile)**		14.00	14.00	14.00	14.00	5.60	33.60
5	Minor items and consumables (Chemicals, glasswares, plastic wares etc.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub- Total	22.00	22.00	22.00	22.00	5.60	49.60
6	Conducting Inception & Closing workshop – 2 no	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Capacity building / Mass Awareness Program 3 nos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	TA for 3 YPs posted in field (3 no.)		0.50	0.50	0.49	0.49	0.45	1.44
		Sub- Total	0.50	0.50	0.49	0.49	0.45	1.44
9	TA / DA of CIFRI personnel (2 scientists, 1 technical staff, contractual staff per tour)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub- Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Knowledge support charges	परामर्शी शुल्क	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	1.00
11	Documentation & Report preparation		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub- Total	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	1.00
12	Operational contingency (Vehicle hiring, boat hiring, experimental fishing, labour charges etc)	अन्य व्यय	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	2.00
		Sub Total	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	2.00
		Total	23.00	23.00	23.49	23.49	7.55	54.04

SN	Major Heads	मद	Financial Details (in lakh Rs.)					Total (4+6+8)
			FY 2025-26		Current FY 2026-27		FY 2027-28	
			1 st Year		2 nd Year		3 rd Year	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2025-26 vide Sanction Order No. 11 dated 04.07.2025	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2026-27 vide current Sanction Order No.	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Institutional charges (@10%)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	2.30	2.30	2.35	2.35	0.75	5.40
	Sub Total		2.30	2.30	2.35	2.35	0.75	5.40
	Grand Total		25.30	25.30	25.84	25.84	8.30	59.44

* YPs will be getting their fellowship from upcoming project (New Extension)
 ** For one lakh seed, feed material cost is Rs. 2.10 lakh

(ख) ICAR-CIFRI, कोलकाता से प्राप्त परियोजना Improving Livelihood of tribal communities through Scampi Fisheries Enhancement Technologies in under-utilized Reservoir Resources of Jharkhand अन्तर्गत छः नए जलाशयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक के लिए स्वीकृत व्यय विवरणी -

Sl	Major Heads	मद	Financial Details (in lakh Rs.)					Total (4 +6+8)
			FY 2025-26		Current FY 2026-27		FY 2027-28	
			1 st Year		2 nd Year		3 rd Year	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2025-26 vide Sanction Order No. 11 dated 04.07.2025	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2026-27 vide current Sanction Order No.	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	
1	2	3	4	5	6	7	8 *	9
1	Trained Manpower – Young Professional (YP – I) (4 nos.)@ Rs. 30,000/- per month for 30 months	मानदेय	9.60	9.60	14.40	14.40	12.00	36.00
	Sub- Total		9.60	9.60	14.40	14.40	12.00	36.00
2	Procurement of pen, 0.4 ha / reservoir and maintenance	आपूर्ति एवं सामग्री	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
3	Seed procurement for stocking @ 500 nos / ha		15.75	15.75	15.75	15.75	0.00	31.50
4	Supplementary feeding cost @ 8 % BW in pen (PL – Juvenile)		17.50	17.50	22.00	22.00	13.00	52.50
5	Minor items and consumables (Chemicals, glasswares, plastic wares etc.)		5.00	5.00	3.00	3.00	2.00	10.00
	Sub- Total		38.25	38.25	56.75	56.75	15.00	110.00
6	Conducting Inception & Closing workshop – 2 no	प्रशिक्षण	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	5.00
7	Capacity building / Mass Awareness Program 3 nos		2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	8.00
8	TA for 4 YPs posted in field (4 no.)		1.00	1.00	0.98	0.98	0.90	2.88
	Sub- Total		5.50	5.50	3.98	3.98	6.40	15.88
9	TA / DA of CIFRI personnel (2 scientists, 1 technical staff, contractual staff per tour)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	5.00	5.00	4.00	4.00	2.75	11.75
	Sub- Total		5.00	5.00	4.00	4.00	2.75	11.75
10	Knowledge support charges	परामर्शी शुल्क	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	4.00
11	Documentation & Report preparation		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
	Sub- Total		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	6.00

Sl.	Major Heads	मद	Financial Details (in lakh Rs.)					Total (4 +6+8)
			FY 2025-26		Current FY 2026-27		FY 2027-28	
			1 st Year		2 nd Year		3 rd Year	
			Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2025-26 vide Sanction Order No. 11 dated 04.07.2025	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	Sanctioned in 2026-27 vide current Sanction Order No.	Tentative Budget Proposed by CIFRI, Kolkata	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Operational contingency (Vehicle hiring, boat hiring, experimental fishing, labour charges etc)	अन्य व्यय	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Sub Total			2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00
Total			60.35	60.35	82.13	82.13	41.15	183.63
13	Institutional charges (@10%)	प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण)	6.04	6.04	8.21	8.21	4.12	18.37
Sub Total			6.04	6.04	8.21	8.21	4.12	18.37
Grand Total			66.39	66.39	90.34	90.34	45.27	201.99

- (i) ICAR-CIFRI, कोलकाता द्वारा यह योजना मूलतः tribal communities की आजीविका में सुधार हेतु तैयार की गई है। इसलिए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चयनित जलाशयों पर अनुसूचित जनजाति के लाभुक अवश्य कार्यरत हों तथा जलाशयों से महाझींगा उत्पादन प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें। साथ ही संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी इस योजना से लाभान्वित हो रहे लाभुकों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन तैयार कर निदेशक मत्स्य के माध्यम से सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ii) योजना का क्रियान्वयन सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची द्वारा ICAR-CIFRI, कोलकाता एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हजारीबाग/लोहरदगा/गुमला/दुमका/राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, सिमडेगा/लातेहार से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए किया जाएगा।
- (iii) योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु यदि आवश्यक हो तो समय-समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा अनुदेश जारी किये जायेंगे।
- (iv) योजना कार्यान्वयन पश्चात् ICAR-CIFRI, कोलकाता द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची के माध्यम से मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् ही आगे के वर्षों हेतु राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- (v) ICAR-CIFRI, कोलकाता द्वारा यह योजना तीन वित्तीय वर्षों 2025 से 2028 तक के लिए प्रस्तावित है। अतएव प्रोजेक्ट के रूप में योजना की चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्राप्त कर उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 में भी इस हेतु राशि उपबंधित कराते हुए व्यय की जा सकेगी।
- (vi) राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य ICAR-CIFRI, कोलकाता से इस हेतु प्राप्त DPR के अनुरूप किया जाय।
- (vii) इस परियोजना की स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची होंगे जो आवंटित राशि के विरुद्ध संबंधित कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। ICAR-CIFRI, कोलकाता से माँग पत्र के अनुरूप तथा प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ICAR-CIFRI, कोलकाता को राशि उपलब्ध करायेंगे।

12. वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक की निर्गत कार्यवाही ज्ञापांक-रा0 यो0 प्रा0-35/21 राँची, दिनांक 01.03.2021 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 40 रा0 (वि0)/मत्स्य दिनांक 22.03.2021 निर्गत है। इस वित्तीय वर्ष में भी संलग्न परिशिष्टों में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप निम्न कार्य किया जायेगा :

(क) जलाशयों के केज कल्चर में केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उन्हें Three Buckle 5 mm EPF foam filled the whole jacket, weight capacity : 70 - 120 kg, buoyancy 150 N, material - polyster water resistance, size - standard 68 cm X 37 cm X 10 cm, equipped with useful whistle का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में निदेशक मत्स्य द्वारा उल्लिखित लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 2420/- रुपये है। अतएव लाईफ जैकेट के निर्धारित न्यूनतम दर (मो0 2420/-रु0) पर ही 75 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम मो0 1815/-रु0) देय होगा तथा 25 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके द्वारा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है तथा लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये लाईफ जैकेट के क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा लाईफ जैकेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(ख) निजी क्षेत्र के चयनित कृषकों के तालाबों में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र के दर पर महाझींगा का पालन किया जाएगा। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत् अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), राँची/उप मत्स्य निदेशक (अनुसंधान), मत्स्य निदेशालय, राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा। लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बना कर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।

(ग) निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही प्रति हेक्टेयर मो0 4,00,000/- रु0 मात्र

का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम 3,20,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,28,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत (अधिकतम 2,80,000/- रु0 प्रति हेक्टेयर अथवा 1,12,000/- रु0 प्रति एकड़) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

- (घ) सभी जलक्षेत्र (निजी/बन्दोबस्त) के तालाबों/केज/Cemented Tank में Cluster Approach के तहत मोती पालन एवं प्रत्यक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरूप ही मो0 20,000/-रु0 मात्र प्रति यूनिट का दर होगा। इस हेतु झारखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80% (अधिकतम मो0 16,000/-रु0 मात्र प्रति यूनिट) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70% (अधिकतम मो0 14,000/-रु0 मात्र प्रति यूनिट) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

लाभुक कृषकों के चयन की जिम्मेवारी समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति की होगी। राज्य स्तर पर इसके सतत अनुश्रवण की जिम्मेवारी सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान) राँची की होगी तथा यदि आवश्यक हो तो निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा-निदेश संबंधित जिलों को निर्गत किया जाएगा।

लाभुकों के चयन के क्रम में यह सुनिश्चित हो लिया जाय कि एक ही लाभुक के लिए योजना का दोहरीकरण नहीं हो। योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बना कर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।

13. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किये जाने के क्रम में योजनाओं के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
14. आपूर्ति एवं सामग्री मद से आवश्यक क्रय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा। उक्त हेतु Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
15. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
16. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
17. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2405 एवं 4405 में कुल स्वीकृत राशि मो0 1370.00 लाख रु0 (संशोधित उपबंध मो0 1355.00 लाख रु0) मात्र के किरूद्ध मो0 963.74 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।
18. इस योजना अन्तर्गत सामग्री इत्यादि के क्रय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
19. योजना के प्रभावपूर्ण अनुश्रवण के लिए संबंधित लाभुकों का cluster बना कर ही इसका क्रियान्वयन कराया जाय।
20. इस योजना का क्रियान्वयन Blockchain Technology के माध्यम से सुचारु रूप से किया जायेगा।

21. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के guidelines में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
22. वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।
23. वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अन्तर्गत ही व्यय होगा।
24. इस योजना के अन्तर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
25. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर० -01-2005-301 दिनांक 11.03.2015 तथा ज्ञापांक 1269 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
26. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन निम्न शर्त के साथ प्राप्त है :-
- योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ-साथ अन्य विभागीय शर्तों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया जाए।
 - योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का विचलन न हो।
 - नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ही अग्रतर कार्रवाई की जाए।
 - यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के घटकों के साथ किसी प्रकार का दोहराव न हो।
27. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
28. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव
राँची, दिनांक 11.08.26

ज्ञापांक :-5 बजट (1) 24/2022 25.8.26 (वि०)

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
राँची, दिनांक 11.08.26

ज्ञापांक :-5 बजट (1) 24/2022 25.8.26 (वि०)

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

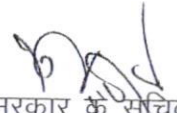
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :-5 बजट (1) 24/2022 25 अक्टूबर

राँची, दिनांक 11.08.26

प्रतिलिपि:

योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव



दिनांक वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-53-कृषि, पर्यावरण एवं सहकारिता विभाग (नत्स्य प्रमाण) मुख्य शीर्ष-2405-मावली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मावली पालन-घर शीर्ष-20-नत्स्य प्रमाण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत वित्तवार मासिक एवं तिमाह तन्त्र परिशिष्ट I

[illegible]

(अबुलफार सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

11-08-26

अनुकर प्रसदीय (पी०)
सरकार के ज्ञात

वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

2

तीतीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

परिशिष्ट IV

11.08.26

विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय

क्र०	स्थापना / जिला का नाम	मत्स्य बीज उत्पादकों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य कृषकों आदि हितधारकों का 01 से 03 दिवसीय कार्यशाला/सेमिनार (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				05 दिवसीय प्रशिक्षण/विषय आधारित प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का भौतिक लक्ष्य)				राज्य में/ राज्य के बाहर अन्य संस्थानों में/द्वारा प्रशिक्षण-सह-स्थल ध्रमण (वि०ल० लाख रु० में)		विस्तृत शीर्ष-03 -प्रशासनिक व्यय- 23- आपूर्ति एवं सामग्री (वि०ल० लाख रु० में)		वित्तीय योग (लाख रु० में)
		101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग	789- अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग	789- अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग	789- अनु० जातियों के लिए विशेष घटक योजना	उप योग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग	101- अन्तर्देशीय मछली पालन	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	रॉची	0	282	100	382	0	100	38	138	0	260	70	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	खूँटी	0	130	40	170	0	50	15	65	0	175	35	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	गुमला	0	250	50	300	0	75	25	100	0	180	45	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	सिमडेगा	0	190	20	210	0	50	15	65	0	170	35	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	लोहरदगा	0	180	40	220	0	50	20	70	0	190	35	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लातेहार	0	230	30	260	0	70	15	85	0	180	35	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	प० सिंहभूम	0	328	30	358	0	90	15	105	0	260	25	285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	पूर्वी सिंहभूम	0	260	30	290	0	85	10	95	0	190	35	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	सरायकेला	0	370	50	420	0	100	20	120	0	240	50	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दुमका	0	250	30	280	0	80	15	95	0	280	45	325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	जामताड़ा	0	180	30	210	0	50	10	60	0	180	35	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	साहेबगंज	0	180	30	210	0	50	10	60	0	190	35	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	पाकुड़	0	170	40	210	0	50	10	60	0	180	35	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	हजारीबाग	400	0	70	470	140	0	30	170	280	0	60	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	रामगढ़	280	0	30	310	80	0	25	105	200	0	35	235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	कोडरमा	280	0	50	330	90	0	25	115	220	0	40	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	चतरा	310	0	30	340	90	0	22	112	200	0	45	245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	बोकारो	360	0	50	410	130	0	30	160	220	0	40	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गिरिडीह	250	0	50	300	80	0	25	105	190	0	50	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	धनबाद	340	0	45	385	100	0	30	130	235	0	50	285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	गोड्डा	280	0	45	325	80	0	25	105	180	0	45	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	पलामू	340	0	30	370	100	0	25	125	200	0	50	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	गढ़वा	300	0	20	320	90	0	20	110	200	0	50	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	देवघर	360	0	60	420	120	0	25	145	375	0	45	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग : भौतिक		3500	3000	1000	7500	1100	900	500	2500	2500	2675	1025	6200	0	0	0	0	0
25	म०वि०प्र०को० का वि०ल० (लाख रु० में)	13.125	11.250	3.750	28.125	17.325	14.175	7.875	39.375	55.6250	59.5188	22.8063	137.9500	5.00	35.000	10.0000	15.00	270.4500
योग : वित्तीय लक्ष्य		13.125	11.250	3.750	28.125	17.325	14.175	7.875	39.375	55.6250	59.5188	22.8063	137.9500	5.00	35.000	10.0000	15.00	270.4500

नोट :- कर्णाकित राशि को आवटन नहीं समझा जा.

(मि० दो करोड़ सत्तर लाख पैंतालीस हजार रु० मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव

2028-27 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.सं.	कार्य	1 मा.कि० प्र०.००	2 अनुसंधान	3 मुगला	4 जमशेदपुर	5 सिमरगा	6 सरायकेला	7 हजारीबाग	8 कोडरमा	9 बोकारो	10 देवघर	11 दुमका	12 जामताड़ा	13 घनबाद	14 राँची	15 चाईबासा	16 मत्स्य निदेशालय	कुल वित्तीय योग (लाख रु० में)
क	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन																	
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री																	
1	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 कि०ग्रा० पंगस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	95	0	0	0	0	72	34	21	90	0	0	60	0	0	0	372
3	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (ला. लाख रु० में)	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	3.40	2.10	9.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	37.20
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	25	0	0	0	0	10	15	0	5	0	0	5	0	0	0	60
5	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (ला. लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	12.00
6	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
7	समेकित मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
8	प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रख-रखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (ला. लाख रु० में)	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि० ग्रा० में)	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
10	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
11	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी माँगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (लाख रु० में)	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
13	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under - utilized reservoirs (2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत प्रथम वर्ष के Pen/Seed/Feed का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50
उप योग		14.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	6.40	2.10	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	114.00
पालन:		14.00	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	6.40	2.10	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	114.00
ख	लघु शीर्ष-798-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना																	
1	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री																	
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	115	17	66	12	0	0	0	0	20	2	0	0	0	0	0	232
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (ला. लाख रु० में)	0.00	11.50	1.70	6.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.20
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	10	6	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	29
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	2.00	1.20	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5.80
5	रंगीन मछली पालन/ प्रजनन इकाई के रख-रखाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
6	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का भौतिक लक्ष्य (कि० ग्रा० में)	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	2000
7	विभागीय प्रक्षेत्रों में पंगेशियस मत्स्य बीज उत्पादन हेतु बूडर के तैयारी का वित्तीय लक्ष्य (ला. लाख रु० में)	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00
8	विभागीय तालाबों में देशी मांगूर तथा कर्बई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (ला. लाख रु० में)	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
9	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मांगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का भौतिक लक्ष्य	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	निजी क्षेत्र के तालाबों में देशी मांगूर पालन एवं प्रत्यक्षण का वित्तीय लक्ष्य (ला. लाख रु० में)	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
11	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under - utilized reservoirs (2nd Phase) अंतर्गत द्वितीय वर्ष के pen/minor items/seed/feed आदि का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25
उप योग		2.50	84.55	2.90	9.60	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.00	0.50	0.60	0.00	105.050

...ती 2026-27 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	1 माफि0 प्र000	2 अनुसंधान	3 गुमला	4 जमशेदपुर	5 शिमडेगा	6 सरायकेला	7 हजारीबाग	8 कोडरमा	9 बोकारो	10 देवघर	11 दुमका	12 जामताड़ा	13 धनबाद	14 राँची	15 चाईबासा	16 मत्स्य निदेशालय	कुल वित्तीय योग (लाख रु० में)
ii विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-35-प्रशिक्षण व्यय																		
राज्यादेश सं० 05 रा० (वि०) दिनांक 13.06.2024 द्वारा स्वीकृत एवं वर्तमान में अवधि विस्तारित परियोजना तथा 6 नए जलाशयों हेतु																		
12	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under - utilized reservoirs (2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत दो Inception & Closing workshop का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
13	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under - utilized reservoirs (2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत तीन Mass Awareness Program (द्वितीय वर्ष हेतु) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
14	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under - utilized reservoirs (1st & 2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत TA for 4 Yps posted in field (4 no.) (द्वितीय वर्ष हेतु) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
15	TA/DA of CIFRI Personnel (2 Scientists, 1 technical staff, contractual staff based on per tour) (2nd Phase)	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
16	Institutional charges (@10%) (1st & 2nd Phase)	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
उप योग		0.00	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53
iii विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय																		
17	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under - utilized reservoirs (1st & 2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत द्वितीय वर्ष के Operational contingencies का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
iv विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-81-सूचना, संचार एवं संचरण सेवाएँ																		
18	आई.टी. बेस्ड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	10.00
v विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं मत्ती-09-मानदेय																		
19	CIFRI, कोलकाता के माध्यम से scampi fisheries in under - utilized reservoirs (1st & 2nd Phase) के प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत द्वितीय वर्ष के Trained Manpower - Young Professional (YP - I) (4 nos.) @ Rs. 30,000/- per month हेतु राशि (लाख रु० में)	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
20	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रंगीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
उप योग		0.00	19.40	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40
योग : 786 - जनजातीय क्षेत्र		2.50	131.98	2.90	14.60	1.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.20	0.00	0.50	0.60	5.00	162.480
ग लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना																		
i विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री																		
1	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	78	0	35	0	0	0	20	0	0	0	0	5	0	0	0	138
2	पूर्व संचालित रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	7.80	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	13.80
3	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का भौतिक लक्ष्य (संख्या में)	0	10	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	1	0	18
4	नए रंगीन मछली इकाईयों (रंगीन मछली पालकों) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रु० में)	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.20	0.00	3.60
योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना		0.00	9.80	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.20	0.00	17.40
कुल योग		16.50	206.58	2.90	18.10	1.20	1.00	9.70	9.40	2.10	10.00	2.00	0.20	7.90	0.50	0.80	5.00	293.880

नोट :- कर्णांकित राशि को आबंटन नहीं समझा ज

(मो० दो करोड़ बीस लाख अठ्ठासी हजार रु० मात्र)

(अबुबकर सिद्दीख पी०)
सरकार के सचिव